न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, सवाई माधोपुर

अपील संख्या - 27/25 GCMS NO2025/43

1. रूपकिशोर
2. रामदयाल पुत्रान कन्हैया
3. खिलाडी पुत्र पिल्लू
4. रामौती पत्नि पिल्लू
5. उगन्ती पत्नि गुलाब
6. बचन
7. लक्ष्मीचंद
8. रामकेश पुत्रान गुलाब सभी जातियान माली निवासीयान करौली तहसील व जिला करौली

अपीलांट

बनाम

1. कन्हैया पुत्र मिश्रा
2. गीता पत्नि गोपाल
3. संध्या पुत्री गोपाल
4. राहुल पुत्र गोपाल
5. तुषार पुत्र गोपाल
6. गीता पुत्री मिश्रा पत्नि प्रेमचंद
7. विमला पुत्री मिश्रा पत्नि जगदीश तेली
8. कमला पुत्री मिश्रा पत्नि बाबूलाल
9. शीला पुत्री मिश्रा पत्नि मुरारी
10. पप्पी उर्फ मिथलेश पुत्री मिश्रा पत्नि गोपाल
11. सुनीता पुत्री मिश्रा पत्नि संतोष सभी जातियान तेलीयान निवासीयान भूडारा बाजार करौली
12. तहसीलदार करौली जरिये लैण्ड होल्डर

रेस्पो0

(अपील विरूद्व मु0नं0 7/23 निर्णय व डिक्री दिनांक 16.2.23 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी करौली)

अभिभाषक अपीला0 श्री रमाकान्त शर्मा
अभिभाषक रैस्पो0 श्री नवल किशोर शर्मा

दिनांक 23.6.2025

निर्णय

प्रस्तुत अपील अपीला0 की ओर से अंतर्गत धारा 223 विरुद्ध निर्णय व डिकी दिनांक 16.2.23 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी करौली पेश की है ।

अपील के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार [illegible] में वादिया 2 व 6 ता 11 ने वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88 आर टी एक्ट इस आशय [illegible] या कि वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 5 एक ही पूर्वज के वंशज है [illegible] किस्म बारानी ए स्थित कस्बा करौली वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या [illegible] खातेदारी व कब्जे [illegible] की

Signature Not Verified
Digitally signed by Laxmi Kant Balot
Date: 2025.10.10 13:59:01 IST
Reason: SelfAttested

राजस्व अपील प्राधिकारी
सवाई माधोपुर

Scanned with CamScanner

पैतृक आराजी है। जो आराजी वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 5 को अपने पूर्वज मिश्रया पुत्र लोहरे से विरासत से प्राप्त हुई है। जिस आराजी मे मुताबिक सजरा एवं मुताबिक हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम प्रत्येक वादीगण का एवं प्रतिवादी संख्या 1 एवं समूल प्रतिवादी 2 ता 5 का बराबर बराबर हिस्सा है और वादीगण उक्त आराजी पर प्रतिवादी संख्या 1 ता 5 के साथ काश्त करती चली आं रही है। वादीगण के पिता मिश्रया की मृत्यु 1983 मे हो गई जिनकी मृत्यु के उपरान्त वर्ष 1990 मे उक्त आराजी ख0न0 8271 की विरासत का नामा0 प्रतिवादी न0 6 ने प्रतिवादी संख्या 1 व प्रतिवादी संख्या 2 ता 5 के पति/पिता गोपाल से साज कर गलत एवं विधि विरूद्ध तरीके से प्रतिवादी न0 1 कन्हैया व प्रतिवादी संख्या 2 ता 5 के पिता/पति गोपाल व वादीगण की माता कस्तुरी के नाम राजस्व रिकार्ड मे दर्ज कर दिया और वादीगण को खातेदारी अधिकारो से वंचित कर दिया जिसकी जानकारी वादीगण को नही हो सकी। क्योकि वादीगण महिलाजात एवं बिना पढी लिखी है और अपने ससुरालो मे रहती है। उक्त नामा0 विधि विरूद्ध एवं अवैध है जिसे वादीगण अवैध घोषित कराके निरस्त कराने की अधिकारी है। वादीगण की माता किस्तुरी एवं भाई गोपाल की मृत्यु होने पर विवादित आराजी ख0न0 8271 मे उनकी विरासत के नामा0 हेतु आवेदन प्रतिवादी न0 6 को किया गया जिस पर बाद जॉच उक्त आराजी की खातेदारी का नामा0 विरासत के आधार पर गोपाल के स्थान पर उसके वारिस प्रतिवादी संख्या 2 ता 5 के नाम तथा माता किस्तुरी के स्थान पर वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 5 के नाम दिनांक 12.1.23 को खोला गया है जिससे स्पष्ट है कि वादीगण मृतक मिश्रया की प्राकृतिक पुत्रियां है और अपने भाई एवं माता के साथ मृतक मिश्रया की आराजी मे बराबर की हिस्सेदार व उत्तराधिकारी है और उसी अनुसार स्वयं के नाम खातेदारी की घोषणा कराने की अधिकारी है। मुताबिक सजरा पिता मिश्रया एवं माता किस्तुरी की मृत्यु के बाद वादीगण प्रत्येक का विवादित आराजी ख0न0 8271 स्थित कस्बा करौली मे 1/8, 1/8 व प्रतिवादी संख्या 1 का 1/8 तथा प्रतिवादी संख्या 2 ता 5 का 1/8 हिस्सा है और इसी अनुसार वादीगण स्वयं को उक्त आराजी की खातेदार काश्तकार घोषित कराने एवं राजस्व रिकार्ड जमाबंदी मे अपने नाम खातेदारी दर्ज कराने की अधिकारी है। वादीगण को उक्त नामा0 संख्या 951 की सर्वप्रथम जानकारी मई 22 मे जमाबंदी की नकल लेने पर हुई। जिसे निरस्त कराने हेतु प्रतिवादी संख्या 6 के पास गये तो उनके द्वारा टालमटोल करते हुए मना कर दिया । इस कारण दावा पेश करना आवश्यक हुआ। इस प्रकार दावा इस प्रकार डिक्री किया जावे कि आराजी ख0न0 8271 रकबा 2 बीघा स्थित कस्बा करौली के नामा0 संख्या 951 दिनांक 2.5.90 को अवैध घोषित किया जावे तथा उक्त आराजी मे प्रत्येक वादिया को हिस्सा 1/8, 1/8 तथा प्रतिवादी न0 1 को हिस्सा 1/8 तथा प्रतिवादी न0 2 ता 5 का हिस्सा 1/8 का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाकर इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड जमाबंदी मे खातेदारी इन्द्राज दर्ज करने हेतु प्रतिवादी संख्या 6 को आदेशित किया जावे। इस प्रकार की इस्तदुआ अधिनस्थ न्यायालय से वादियान ... पर अधिनस्थ न्यायालय द्वारा वादियागण का वाद पत्र स्वीकार किये जाने से व्य... हो... अपीलांट/प्रतिवादी संख्या 1 वारिसान एवं अन्य द्वारा यह अपील इस न्यायालय...

Signature Not Verified
Digitally signed by Laxmi Kant Balot
Date: 2025.10.10 13:59:01 IST
Reason: SelfAttested

राजस्व अपील प्राधिकारी
सवाई माधोपुर

Scanned with CamScanner

अपील पेश होने पर दर्ज रजिस्टर की जाकर अधिनस्थ न्यायालय का रिकार्ड तलब किया गया। रेस्पो0 को नोटिस जारी कर तलब किया गया। बहस उभयपक्ष अभिभाषकगण की अपील पर सुनी गई।

अपीलांट के अधिवक्ता ने अपील मे अंकित तथ्यो को दोहराते हुए कथन किया कि अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय व डिक्री खिलाफ कानून एवं काबिले मंसूखी है। विवादित आराजीयात ख0न0 271 रकबा 2 बीघा कस्बा करौली मण्डरायल रोड के सहारे मिश्रया तेली राठौर के समय से ही पूर्वजो के खातेदारी एवं कब्जे काश्त की है। मिश्रया के दो पुत्र कन्हैया एवं गोपाल सन 1983 मे उनके पिता की मृत्यु पर कानूनन खातेदार दर्ज हो गये है। दोनो पुत्र कन्हैया एवं गोपाल तथा बेवा किस्तुरी ने मिश्रया की मृत्यु के बाद उपरोक्त आराजी हम अपीलार्थीगण रूपकिशोर,रामदयाल,पिल्लू एवं गुलाब पुत्रान कन्हैया को जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 18.2.2000 को विक्रय कर कब्जा खरीददारान करा दिया। खरीददारान ने उस समय उक्त आराजी को चार भागो मे विभक्त कर चारो भाई पिल्लू,रूपकिशोर,रामदयाल,गुलाब ने अलग अलग मकान बना लिये तथी से अपीलार्थीगण मकान बनांकर विवादित आराजी पर काबिज है। खरीददारो मे पिल्लू और गुलाब फौत हो चुके है अपीलार्थी संख्या 3 व 4 पिल्लू के वारिसान तथा अपीलार्थी संख्या 5 ता 8 गुलाब के वारिसान है। प्रतिवादीगण/वादीगण/रेस्पो0 को उक्त रजिस्टर्ड बयनामा की पूरी जानकारी है। स्वयं कन्हैया ने रजिस्टर्ड बयनामा हम अपीलार्थीगण के हक मे तहरीर तकमील कराया था। उक्त आराजी पर मकान बनाने के बाद हमारे मकान के नागर मे भी सभी शामिल हुए है। हमारे मकानो को देख चुके है। और खेत के विक्रय की जानकारी हो चुकी है। मिश्रया की सभी पुत्रियो की शादी हो चुकी है वह 30-35 साल से ससुराल मे रहती है और हमारे यहाँ पारिवारिक कार्यक्रमो मे आती है। अपीलार्थीगण के विवादित आराजी के बेचान की जानकारी होते हुए पुनः उक्त जमीन को कपट पूर्वक रूपये प्राप्त करने की गरज से रेस्पो0 संख्या 1 ता 6 ने अपने भाई कन्हैया एवं दूसरे भाई गोपाल के वारिसान से साज कर रेस्पो0 संख्या 6 लगायत 11 को कपटता पूर्वक दावा संख्या 7/23 तारीख 25.1.23 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी मे दावा गीता वगै0 बनाम कन्हैया वगै0 साजिशन पेश कर दिनांक 16.2.23 को पूर्व मे आराजी विक्रय के तथ्यो को छुपाकर आपसी कपटपूर्वक सहमति से डिक्री करा लिया है। अदालत मातहत ने अपने निर्णय मे इस बात पर गौर नही किया कि कन्हैया एवं वादीगण के पूर्वजो की आराजी मे मिश्रया की पुत्रियों के वांछित हक हकूक नही थे। इसी कारण दिनांक 2.5.90 को नामा0 संख्या 951 के समय मिश्रया की लडकियो के नाम, मिश्रया की पत्नि किस्तुरी एवं गोपाल एवं कन्हैया पुत्र मिश्रया ने पटवारी को अपनी बहिनो के नाम बताने के बाबजूद नामा0 नही खुलवाया। नामा0 संख्या 951 कानूनी सही है। मिश्रया की मृत्यु उपरान्त पुश्तैनी आराजी कन्हैया एवं गोपाल जो कि मिश्रया के सहदाय के नाम नामा0 सही खोला गया है। कानूनन पूर्वजो की सम्पति मे मिश्रया की पुत्रियो के वांछित अधिकार तत्समय प्राप्त नही थे। दिनांक 18.2.2000 को विवादित आराजीयात का बयनामा रजिस्टर्ड होने के बाद रेस्पो0 के किसी प्रकार के कोई [illegible] शेष नही रहे। अपीलार्थीगण अनपढ गंवार थे। इस कारण रजिस्टर्ड बयनामा [illegible] रजिस्टर्ड विक्रय पत्र अपीलार्थी को सक्षम न्यायालय से निरस्त [illegible] निर्णय मातहत अदालत गैर कानूनी है। यधपि नामा0 के जरिये अपीलार्थीगण की खातेदारी [illegible] हो सकी इसी कारण रेस्पो0 ने

Signature Not Verified
Digitally signed by Laxmi Kant Balot
Date: 2025.10.10 13:59:01 IST
Reason: SelfAttested

राजस्व अपील प्राधिकारी
सवाई माधोपुर

Scanned with CamScanner

आपस मे कपटपूर्वक साजिश कर डिक्री हाजा प्राप्त की है। पूर्व बेचान के तथ्य को छुपाकर डिक्री हाजा पारित की गई है। जो निरस्त योग्य है। दिनांक 25.1.23 को रेस्पो0 के विवादित आराजीयात मे किसी प्रकार के कोई खातेदारी हक हकूक नही थे। विक्रय दिनांक 18.2.20 के बाद कूननन उक्त विवादित आराजी मे खातेदारी अपीलार्थीगण को प्राप्त हो चुके है। विवादित आराजी के केतागण अशिक्षित थे किन्तु हमारे तत्समय के बार्ड मेम्बर ने उक्त बेचाननामा को पटवारी हल्का को देकर नामा0 खुलवाने की कह दिया। तत्कालीन पटवारी ने असल बयनामा वार्ड मेम्बर को वापिस लौटा दिया जो हमारे पास है। अपीलार्थीगण के मकान उसी समय के बने हुए है और चारो भाईयो का परिवार रिहायश कर रहा है। अपीलार्थीगण विवादित आराजी पर काबिज होने के बाबजूद भी नामा0 बहक रेस्पो0 अवैध है। रेस्पो0 भूमाफियाओ से साज कर चुके है एवं भूमाफियाओ से अनुचित रकम प्राप्त कर भू माफियाओ को पुनः आराजी का बयनामा कराने का तत्पर है। इस बात की जानकारी होने पर अपीलार्थीगण ने राजस्व कागजात की नकल लेने पर जानकारी होने पर अपील पेश करना आवश्यक हुआ। अपीलार्थी विवादित आराजीयात के खातेदार है। रेस्पो0 को विवादित आराजी मे कोई हक हकूक नही होते हुए भी रेस्पो0 ने आपस मे साज कर लायक मातहत मे इकबालिया जबाब प्रस्तुत कर दावा कपटपूर्वक तरीके से डिक्री कराया है। अधिनस्थ न्यायालय मे प्रतिवादीगण की और से साजिशी जबाब देही की गई है जिसके आधार पर अदालत मातहत ने दावा को आर्डर 12 सीपीसी मे डिक्री न करके मुकदमे मे विवाधक विरचित किये। विवाधक विरचित करने के उपरान्त दावा बिना किसी साक्ष्य गवाही एवं रिकार्ड तलब किये डिक्री करने मे कानूनी भूल की है। पत्रावली पर डिक्री का कोई आधार नही है। पत्रावली मे अवलोकन से दावा कपटपूर्वक तरीके से डिक्री किया जाना स्पष्ट प्रमाणित है। तहसीलदार करौली ने भूमाफियाओ से मिलकर पत्रावली मे नो ऑबजेक्शन लिखकर वास्तविक तथ्यो को छुपाकर दावा कपटपूर्वक डिक्री करने मे मददगार साबित हुए है एवं अपीलार्थीगण के खिलाफ एक तरफा मे डिक्री पारित की गई है। उक्त कपटपूर्वक डिक्री की जानकारी दिनांक 10.4.23 को होने पर नकल व अन्य दस्तावेज प्राप्त की जाकर जानकारी के आधार पर अपील अन्दर मियाद पेश है फिर भी डिले कन्डोन हेतु धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र अलग से प्रस्तुत कर निवेदन है कि एक तरफा निर्णय व डिक्री निरस्त फरमाया जावे।

रेस्पो0 के अधिवक्ता ने बहस के दौरान तर्क दिया कि आराजी ख0न0 8271 रकबा 2 बीघा किस्म बारानी ए स्थित कस्बा करौली वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 5 के संयुक्त खातेदारी व कब्जे काश्त की पैतृक आराजी है। पैतृक आराजी होना अपीलांट द्वारा स्वयं स्वीकृत किया गया है। उक्त आराजी वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 5 को अपने पूर्वज मिश्रया पुत्र लोहरे से विरासत से प्राप्त हुई है। जिस आराजी मे मुताबिक सजरा एवं मुताबिक हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम प्रत्येक वादीगण का एवं प्रतिवादी संख्या 1 एवं समूल प्रतिवादी 2 ता 5 का बराबर बराबर हिस्सा है और वादीगण [illegible] पर प्रतिवादी संख्या 1 ता 5 के साथ काश्त करती चली आ रही है। वादीगण के पिता मिश्रया की [illegible] 83 मे हो गई जिनकी मृत्यु के उपरान्त वर्ष 1990 मे उक्त आराजी ख0न0 8271 [illegible] से साज कर गलत एवं विधि प्रतिवादी संख्या 1 व प्रतिवादी संख्या 2 ता 5 के पति/[illegible] विरुद्ध रूप से प्रतिवादी संख्या [illegible] ता 5 के पिता/पति गोपाल व विरूद्ध तरीके से प्रतिवादी न0 1 कन्हैया व प्रतिवादी संख्या

Signature Not Verified
Digitally signed by Laxmi Kant Balot
Date: 2025.10.10 13:59:01 IST
Reason: SelfAttested

राजस्व अपील प्राधिकारी
सवाई माधोपुर

Scanned with CamScanner

वादीगण की माता कस्तुरी के नाम राजस्व रिकार्ड मे दर्ज कर दिया और वादीगण को खातेदारी अधिकारो से वंचित कर दिया जिसकी जानकारी वादीगण को नही हो सकी। क्योकि वादीगण महिलाजात एवं बिना पढी लिखी है और अपने ससुरालो मे रहती है। उक्त नामा0 विधि विरुद्ध एवं अवैध है जिसे वादीगण अवैध घोषित कराके निरस्त कराने की अधिकारी है। हिन्दु उत्तराधिकार अधिनियम के तहत पिता की सम्पति मे पुत्रियो को भी बराबर का हिस्सा प्रदान किया जाता है। वादीगण की माता किस्तुरी एवं भाई गोपाल की मृत्यु होने पर विवादित आराजी ख0न0 8271 मे उनकी विरासत के नामा0 हेतु आवेदन तहसीलदार को किया गया जिस पर बाद जॉच उक्त आराजी की खातेदारी का नामा0 विरासत के आधार पर गोपाल के स्थान पर उसके वारिस प्रतिवादी संख्या 2 ता 5 के नाम तथा माता किस्तुरी के स्थान पर वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 5 के नाम दिनांक 12.1.23 को खोला गया है जिससे स्पष्ट है कि वादीगण मृतक मिश्रया की प्राकृतिक पुत्रियां है और अपने भाई एवं माता के साथ मृतक मिश्रया की आराजी मे बराबर की हिस्सेदार व उत्तराधिकारी है और उसी अनुसार स्वयं के नाम खातेदारी की घोषणा कराने की अधिकारी है। मुताबिक सजरा पिता मिश्रया एवं माता किस्तुरी की मृत्यु के बाद वादीगण प्रत्येक का विवादित आराजी ख0न0 8271 स्थित कस्बा करौली मे 1/8, 1/8 व प्रतिवादी संख्या 1 का 1/8 तथा प्रतिवादी संख्या 2 ता 5 का 1/8 हिस्सा है और इसी अनुसार वादीगण स्वयं को उक्त आराजी की खातेदार काश्तकार घोषित कराने एवं राजस्व रिकार्ड जमाबंदी मे अपने नाम खातेदारी दर्ज कराने की अधिकारी होने के कारण ही अधिनस्थ न्यायालय मे धारा 88 आर टी एक्ट के तहत वाद पेश किया गया था। अपीलांट का बार बार कथन रहा कि अधिनस्थ न्यायालय द्वारा एक तरफा मे डिक्री पारित की है। जबकि वास्तविकता यह है कि अधिनस्थ न्यायालय मे प्रतिवादी कन्हैया द्वारा वाद पत्र का इकबालिया जबाब पेश किया गया है। जिससे स्पष्ट है कि अधिनस्थ न्यायालय द्वारा वाद पत्र एक तरफा मे डिक्री नही किया है। अधिनस्थ न्यायालय मे प्रस्तुत जबाब दावा मे प्रतिवादीगण द्वारा दावे के सभी तथ्यो को स्वीकार किये जाने पर तहसीलदार द्वारा अनापत्ति जाहिर की गई है। अपीलांट का कथन रहा कि विवादित आराजीयात को कन्हैया द्वारा रजिस्टर्ड बयनामा से अपीलांट को बेचान किया गया है। तथाकथित बयनामा अनुसार विवादित भूमि को किस्तुरी बेवा मिश्रया, कन्हैया लाल व गोपाल पिसरान मिश्रया के द्वारा बिना विधिक अधिकार के पिल्लु,गुलाब,रूपकिशोर,रामदयाल को बेचान किया किया गया है। जो विधि विरुद्व है क्योकि विवादित आराजीयात रेस्पो0 के पिता मिश्रया की पैतृक आराजीयात है जिसमे रेस्पो0 को हिन्दु उत्तराधिकारी अधिनियम के तहत एवं विरासत के आधार पर हक एवं अधिकार प्राप्त है। विवादित आराजीयात का नामा0 संख्या 951 दिंाक 2.5.90 तथ्यो को छिपाकर खोला गया है। जिसके कारण उक्त नामा0 मे वादियांगण का हिस्सा दर्ज नही किया गया है जो निरस्त योग्य है। तथाकथित बयनामा दिनांक 18.2.2000 के आधार पर अपीलांट के नाम नामा0 दर्ज नही हुआ है ना ही उनके नाम विवादित आराजीयात की खातेदारी दर्ज हुई है। इससे स्पष्ट है कि विवादित आराजीयात की खातेदारी अपीलांट के नाम दर्ज [illegible] विवादित आराजीयात मे रेस्पो/वादियागण का हक एवं अधिकार हो[illegible] न्यायालय द्वारा विधिवत रूप से वाद पत्र डिक्री किया गया है। जिसमे किसी प्रकार की [illegible] विधिक त्रुटि नही है। अतः अपीलांट की अपील खारिज फरमाई जावे।

Signature Not Verified
Digitally signed by Laxmi Kant Balot
Date: 2025.10.10 13:59:01 IST
Reason: SelfAttested

राजस्व अपील प्राधिकारी
सवाई माधोपुर

Scanned with CamScanner

उभयपक्ष अभिभाषको की बहस पर मनन किया। पत्रावली एवं प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांतो को ससम्मान अवलोकन किया गया। जिससे यह तथ्य सामने आये कि विवादित आराजीयात खसरा0 8271 रकबा 2 बीघा की खातेदारी मिश्रया पुत्र लोहरे जाति तेली के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड रही है जो पत्रावली मे उपलब्ध जमाबंदी 2076–79 से स्पष्ट है। मिश्रया के फौत होने के उपरान्त मिश्रया की विरासत का नामा0 संख्या 951 दिनांक 2.5.90 के द्वारा मिश्रया के बजाय कन्हैया, [illegible]ल,गोपाल पिसरान मिश्रया एवं मु0कस्तुरी बेवा मिश्रया जाति तेली राठौड सा0 भूडारा करौली के नाम तस्दीक हुआ है। जिसकी पुष्टि पत्रावली मे उपलब्ध जमाबंदी खतौनी 2044 से 2047 से होती है। अपीलांट का कथन रहा कि विवादित भूमि को मिश्रया के वारिसान कन्हैया,गोपाल एवं बेवा किस्तुरी द्वारा जरिये रजिस्टर्ड विकय पत्र विकय किया जा चुका है। जिससे भूमि पर अपीलांट के अधिकार हो गये है। पत्रावली मे उपलब्ध बयनामा दिनांक 18.2.2000 से अपीलांट के इस कथन की पुष्टि तो होती है परन्तु उक्त बयनामे के आधार पर राजस्व रिकार्ड मे भूमि अपीलांट के नाम जरिये नामा0 दर्ज होने के संबंध मे कोई दस्तावेज उपलब्ध नही है ना ही विवादित भूमि पर कब्जा अपीलांट का हो इस संबंध मे भी कोई दस्तावेज पत्रावली पर उपलब्ध नही है। इस प्रकार अपीलांट का यह कथन साबित नही होता है। मृतक मिश्रया की बेवा किस्तुरी एवं पुत्र गोपाल की मृत्यु के पश्चात उनकी विरासत का नामा0 संख्या 3953 दिनांक 12.1.23 खोला गया है जिसमे स्पष्ट रूप से किस्तुरी व गोपाल के स्थान पर सम्पूर्ण खाते मे नवीन अंकन से कन्हैया पुत्र मिश्रया हिस्सा 9/24 गीता,विमला,कमला,शीला, पप्पी उर्फ मिथलेश,सुनिता पुत्रियां मिश्रया हिस्सा 1/4 गीता पत्नि गोपाल,राहुल (बा.),तुषार (नाबा.) पि.गोपाल, संध्या पुत्री गोपाल हिस्सा 9/24 जाति तेली राठोर सा.भूडारा (नाबा.संरक्षक माता गीता दर्ज स्वीकार होने का अंकन है। उक्त नामा0 संख्या 3953 दिनांक 12.1.23 को निरस्त कराने बाबत भी अपीलांट द्वारा सक्षम न्यायालय मे किसी प्रकार की चाराजोही किये जाने का प्रमाण भी पत्रावली मे उपलब्ध नही है। यदि अपीलांट चाहे तो अपने हक एवं अधिकारो के लिए विक्रेतागण कन्हैया,गोपाल एवं किस्तुरी के विरूद्व सक्षम न्यायालय मे वाद दायर कर सकते है। उपरोक्त तथ्यो से स्पष्ट है कि विवादित आराजीयात मे वादियागण के हक एवं अधिकार निहित है। वादियागण मृतक मिश्रया की जायज वारिसान रही है। जिससे विवादित आराजीयात मे उनके अधिकार होने के कारण ही विधिक रूप से वाद पत्र पेश किया गया। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा सम्पूर्ण राजस्व रिकार्ड का विधि पूर्वक अवलोकन किये जाने के उपरान्त ही निर्णय व डिकी पारित की गई है। जिसमे किसी प्रकार की कोई विधिक त्रुटि नही होने से उसमे किसी प्रकार के हस्तक्षेप की आवश्यकता प्रतीत नही होने से अपीलांट की अपील खारिज योग्य है।

अतः अपील अपीलांट खारिज योग्य होने से खारिज की जाती है। अधिनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी करौली के प्रकरण संख्या 7/23 मे पारित निर्णय व डिकी दिनांक 16.2.23 की पुष्टि की जाती है।

निर्णय आज दिनांक 23.6.2025 को लिखाया जाकर खुले इजलास सुनाया गया।

(लक्ष्मी कांत बालोत)
राजस्व अपील प्राधिकारी

राजस्व अपील प्राधिकारी
सवाई माधोपुर

Signature Not Verified
Digitally signed by Laxmi Kant Balot
Date: 2025.10.10 13:59:01 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner